UPAU120063672025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

एफ0आर0 वाद सं0–249/2025

अरविन्द कुमार बनाम संजय कुमार आदि।

मु0अ0सं0–39/2023
अन्तिम रिपोर्ट सं0–11/2023
धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कुदरकोट, जिला औरैया।

दिनांक–02.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा अरविन्द कुमार को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2026 को नोटिस की तामीला पर्याप्त माना गया है, परन्तु वादी की ओर से कोई प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। थाना कुदरकोट द्वारा इस आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी कि बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, मजीद बयान पीड़िता आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। वादी द्वारा थाना पुलिस की गयी समझौतानामा की तहरीर संलग्न है। वादी मुकदमा विगत पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। वादी मुकदमा को सुनवाई हेतु न्यायहित में समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 28.03.2026 को आपत्ति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। वादी आज भी अनुपस्थित है। ऐसा दर्शित होता है कि वादी उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त एफ0आर0 में कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त एफ0आर0 आपत्ति के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

थाना कुदरकोट, जिला औरैया द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0–11/2023 दिनांकित 04.05.2023, मु0अ0सं0–39/2023, अर्न्तगत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम स्वीकार की जाती है। तद्नुसार एफ0आर0 वाद संख्या 249/2025 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.07.02 17:06:16 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna